.\_ / --

(Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)2/2012, dated 27.10.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

No. UD-A(1)2/2012

Dated Shimla-2, the

27.10.2020

### NOTIFICATION

WHEREAS, a proposal for declaration of Nagar Panchayat Amb, District Una as notified vide this department Notification No. UD-A(3)-3/2015, dated 25.08.2020 was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 27.08.2020 for inviting objections/suggestions from the affected persons through the Deputy Commissioner, Una within a period of six weeks;

AND WHEREAS, the objections/suggestions received from the inhabitants of the local areas proposed to be included in Nagar Panchayat Amb, Tehsil Amb, District Una within the prescribed time limit were considered by the State Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section (3) and sub-section (6) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute Nagar Panchayat Amb, District Una, Himachal Pradesh as per the area specified in THE SCHEDULE given below and it shall come into existence from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

#### "THE SCHEDULE"

Sr.	Patwar	Mohal	Panchayat	Khasra No.	Total Khasra No.	Area in Sq. M
No.	Circle					1
1.	Amb	Amb Khas	Amb	1 to 2766 to	3159	2064636
				3243/2418		
-		Adarsh Nagar	Amb	1 to 1764 to	2285	1454357
				2472/748		
		Heera Nagar	Amb	1 to 2105 to	2423	1382650
				2528/1413		
		Pratap Nagar	Amb	2 to 1661 to	2588	1781545
				2708/212 4/1640		
2.	Saloi	Mansoh Tikkari	Amb	1 to 205 to	228	496665
	ou.c.			232/124		-
		Polian Jaswalan	Amb	1 to 613 to	671	1339552
				695/601	,	
				Total Area	11354	8519405



-2.

The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by subsection (7) of section 4 and sub-section (1) of section 80 of the Act ibid., is pleased to exempt the land and buildings of the said Nagar Panchayat from the payment of general tax for a period of three years from the commencement of this notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By Order,

(Rajneesh)
Secretary (Urban Dev.) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.: As above.

Dated Shimla-2, the

27.10.2020

Copy is forwarded to the following for information & necessary action:

1. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh for issuance of Notification under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, excluding these areas from the respective Gram Panchayats/Gram Sabha Area immediately.

2. The Addl.-LR(Legal) to the Govt. of Himachal Pradesh.

3. The Secretary, State Election Commission, H.P.

4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2

5. The Director, Panchayati Raj, H. P. Shimla-9 for similar action.

6. The Director, Census Operation, H.P., Shimla-5.

7. The Deputy Commissioner, Una, H.P.

(Surject Singh Rathore) 27.10.

Joint Secretary (Urban Dev.) to the Government of Himachal Pradesh.

## हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग

संख्या यू०डी०-ए०(1)-2/2012

तारीख शिमला-02,

27.10.2020

# अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू०डी०–ए०(3)–3/2015 तारीखं 25.08.2020 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना की घोषणा के लिए प्रस्ताव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त, ऊना के माध्यम से छह सप्ताह की अविध के भीतर आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीखं 27.08.2020 को प्रकाशित किया गया था:

और विहित समय—सीमा के भीतर नगर पंचायत अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से प्राप्त हुए आक्षेप / सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तद्नुसार उन पर विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई "अनुसूची" में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना का गठन करते हैं और यह राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आएगी।

''अनुसूची''

	3,3,4,1								
क्रम	पटवार	महाल	पंचायत	खसरा नम्बर	कुल	क्षेत्रफल			
संख्या	वृत का				खसरी न0	वर्गमीटर में			
	नाम				, , , ,				
1	अम्ब	अम्ब खास	अम्ब	1 से 2766 से3243/2418	3159	2064636			
		आदर्श नगर	अम्ब	1 से 1764 से 2472/748	2285	1454357			
		हीरा नगर	अम्ब	1 से 2105 से 2528/1413 .	2423	1382650			
		प्रताप नगर	अम्ब	2 से 1661 से 2708/ 2124/	2588	1781545			
				1640					
2	सलोई	मनसोह टिक्करी	अम्ब	1 से 205 से 232/124	228	496665			
		पोलियां जसवालां	अम्ब	1 से 613 से 695/601	671	1339552			
		i i		कुल क्षेत्रफल	11354	8519405			
L					3.50	Charles - marc			

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (7) और धारा 80 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों पर इस अधिसूचना के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अविध के लिए सामान्य कर के संदाय से भी छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार—अभिलेख के वाजीब—उल—अरज में यथा उपबंधित रुढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे।

आदेश द्वारा

(रजनीश) सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि तारीख शिमला-02,

27.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:--

1. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत / सभा क्षेत्र से बाहर निकलिने हेतु तुरन्त अधिसूचना जारी करने हेतु।

2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवम अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

- 3. सचिव, राज्य निवार्चन आयोग, हिमाचल प्रदेश।
- 4. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश।
- 5. निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश।
- 6. निदेशक, जनगणना कार्य शिमला, हिमाचल प्रदेश।
- 7. उपायुक्त जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

(सुरजीत सिंह राठौर) 27-10-20 संयुक्त सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार।